



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 905) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2026

सं० 09/न०वि०(टाउनशिप)—03/2026—8023/न०वि० एवं आ०वि०—विकास आयुक्त—सह—अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक—31.07.2026 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की चौदहवीं बैठक में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप, पटना के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, 2047 (प्रारूप) पर गजट में प्रकाशन के माध्यम से 60 दिनों तक आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 24 के तहत तैयार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप, पटना के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, 2047 (प्रारूप) को उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत गजट में प्रकाशन की तिथि से अगले 60 दिनों तक के लिए आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए उक्त प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

उक्त से संबंधित आपत्ति/सुझाव श्री मनोज कुमार (भा०प्र०से०), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को डाक/कुरियर से अथवा Email (udhd@bihar.gov.in) पर भेजा जा सकता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 905-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>